डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट बताया है और जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि 10th फाईव इयर प्लान में 95 गोडाउंस बनाने का एफसीआई का लक्ष्य था, जिसमें 44 गोडाउंस हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इसकी क्षमता 3.24 लाख मेट्रिक टन है, जो एफसीआई द्वारा आधारित है। सीडब्ल्यूसी ने 10th फाइव ईयर प्लान में 85 गोडाउंस का लक्ष्य रखा था, जिसमें 85 में से 66 सीडब्ल्यूसी ने पूर्ण कर लिया है, जिसकी कैपेसिटी 7.74 लाख मैट्रिक टन है। इनमें से कुछ निर्माणधीन हैं और कुछ अगले वर्ष बनाए जाएंगे।

SHRI T.T.V. DHINAKARAN: What about Tamil Nadu? Is there any proposal for Tamil Nadu?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: 15-16 तमिलनाडु के लिए हैं।

SHRI T.T.V DHINAKARAN: Okay, At present, the State Governments are given 50 per cent financial assistance for constructing storage godowns. Due to severe rains and floods in Tamil Nadu, Many storage godowns have been badly damaged. In veiw of this situation, will the Government provide 100 per cent financial assistance, as a special case, to Tamil Nadu for constructing storage godowns?

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: माननीय सभापति महोदय, इस तरह का कोई प्रपोजल राज्य सरकार से नहीं आया है और केन्द्र सरकार की कोई स्कीम भी नहीं है।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

*448. श्री रवि शंकर प्रसाद:
श्री राम जेठमलानी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में सरकार ने चीनी मिलों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनी उद्योग का सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में यह पहला कदम था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं, और चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए क्या निर्णय लिया गया/लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। चीनी उद्योग को दिनांक 31.8.1998 के प्रेस नोट संख्या 12(1998 सीरीज) तथा दिनांक 11.9.1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 808(ई०) द्वारा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षा वाले उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी उद्योग के संबंध में चरणबद्ध विनियंत्रण की नीति का अनुसरण किया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

(i) चूंकि चीनी उद्योग को 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है, अत: उद्यमियों को परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा तथा नई चीनी मिल के बीच की दूरी 15 कि०मी० से कम नहीं हो।

(ii) चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 को निरस्त करके 15.1.1997 से चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध कर दिया गया है।

(iii) मार्च, 1994 से चीनी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है।

(iv) 7 जुलाई, 2000 से चीनी के थोक व्यापारियों पर से स्टाक रखने की सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(v) 20 अगस्त, 2001 से मान्यताप्राप्त चीनी के व्यापारियों पर से कारोबार की अवधि से संबंधित सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(vi) 01.01.2000 से चीनी उद्योग पर अनिवार्य लेवी देयता 40% से घटाकर 30% कर दी गई थी जो बाद में 01.02.2001 से 15% तथा 01.03.2002 से 10% कर दी गई है।

(vii) अप्रैल, 2001 में चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए थे।

(viii) मई, 2002 में, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करके फ्यूचर्स/फॉरवर्ड व्यापार आरम्भ किया गया।

Licences for sugar mills

†*448. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the recent years, Government have removed the necessity of taking licences for sugar mills;

(b) if so, when this decision was taken;

(c) whether it is also a fact that this was the first step in the direction of making sugar industry free from Government control; and

(d) if so, the facts thereof and the decision taken/likely to be taken to make sugar industry free from Government Control?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Licences for sugar mills

(a) and (b) Yes, Sir. The sugar industry has been deleted from the list of industries requiring compulsory licensing under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 *vide* Press Note No. 12 (1998 series) dated 31.08.1998 and Notification No. S.O. 808(E) dated 11.09.1998.

(c) and (d) The Government have followed a policy of phase decontrol in respect of sugar industry, the salient features of which hitherto, are—

(i) Since the sugar industry has been delicensed w.e.f. 11.09.1998, entrepreneurs have been allowed to set up sugar factories and to expand the existing sugar factories, as per the techno-economic feasibility of the project, with the condition that the distance between the existing and new sugar mill should not be less than 15 kms.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravi Shankar Prasad.

(ii) Export of sugar has been decanalised w.e.f. 15.01.1997 by repealing the Sugar Export Promotion Act, 1958.

(iii) Import of sugar has been placed under Open General License w.e.f. March, 1994.

(iv) Removed the stockholding limits on wholesale dealers of sugar w.e.f. 7th July, 2000.

(v) Abolished the turnover period limits on the recognized dealers of sugar with effect from 20th August, 2001.

(vi) Reduced compulsory levy obligation of the sugar industry from 40% to 30% w.e.f. 01.01.2000, subsequently to 15% w.e.f. 01.02.2001 and to 10% w.e.f. 01.03.2002.

(vii) Quantitative restrictions on export of sugar were removed in April, 2001.

(viii) In May, 2002, introduced Futures/Forward trading in sugar, by amending the Forward Contracts (Regulations) Act, 1952.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में चीनी उद्योग का उदारीकरण करने, लाइसेंस मुक्त करने के संबंध में विस्तृत विवरण रखा है। जहां तक मेरी जानकारी है, चीनी उत्पादन में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शायद इस वित्तीय वर्ष में 187 लाख टन उत्पादन होने की अपेक्षा है। अब इतना होने के बावजूद यह अजीब विसंगति है कि चीनी के दाम भागे जा रहे हैं और यह 22, 23, 24 रुपए किलो मिल रही है। महोदय, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि एन॰डी॰ए॰ सरकार के समय में चीनी के दाम 15, 16 रुपए किलो थे, मगर जब उत्पादन बढ़ रहा है, उदारीकरण बढ़ रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है, आयात-निर्यात हो रहा है तो फिर चीनी के दाम में वृद्धि क्यों हो रही है? इस का क्या कारण है।

श्री शरद पवार: सर, पिछले साल इस देश का चीनी का टोटल प्रोडक्शन 140 लाख टन हुआ था। इस साल उम्मीद है कि यह 180 के आसपास पहुंचेगा। सर, देश की डॉमेस्टिक रिक्वायरमेंट 180-185 के आसपास होती है। इस तरह इसी साल देश का टोटल डॉमेस्टिक रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन एक लेबल पर रहा है। हमारी नीति के अनुसार हमारे पास कुछ-न-कुछ कैरी-ओवर स्टॉक अगले साल के लिए रखना पड़ता है क्योंकि समझो कई राज्यों में पानी की समस्या पैदा हो गयी, गन्ने की फसल कम हो गयी तो कंजूमर पर इस का बुरा असर होता है, इसलिए थोड़ा-बहुत कैरी-ओवर स्टॉक रखने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति को देखने के बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट तक ही हम पहुंचे हैं। इस के आगे बिल्कुल सेफ पोजीशन

तक अभी नहीं आए हैं। सर, यह बात सच है कि 3-4 साल में देश में चीनी के दाम बहुत कम हुए और इतने कम हुए थे कि 1100-1200 के आसपास हुए थे जिस में किसानों को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं मिलती थी। इस से गन्ने की लागत कम हो गयी और देश में चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है। आज 20 रुपए के आसपास रिटेल प्राइस रहे, इस पर हमारा ध्यान है। इस के ऊपर अगर भाव कहीं गया है तो कुछ राज्यों में कुछ समस्या होगी और वहां ज्यादा सप्लाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज की हमारी नीति यह है कि किसानों को 1200 रुपए टन के आसपास कीमत मिलनी चाहिए, मिल को 1500-1600 रुपए पर क्विंटल कीमत मिलनी चाहिए और कंज्यूमर को 20-21 रुपए किलो चीनी मिलनी चाहिए। हम इस लाइन पर आज काम कर रहे हैं। मगर आज जिस तरह से प्लांटेशन हुआ है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, उस से मुझे विश्वास है कि और कुछ दिनों के बाद देश में चीनी की परिस्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा व अंपसंइपसपजल और प्राइस के बारे में कोई चिंता करने की परिस्थिति availability पैदा नहीं होगी।

सर, इस में एक दूसरा भी पहलू है कि इस साल इंटरनेशनल मार्केट में परिस्थिति बहुत बदली हुई है। दुनिया में चीनी का मेजर प्रोडक्शन करने वाले जो चार देश हैं, वहां चीनी का उत्पादन कम हुआ है, खास तौर पर ब्राजील ने अपना गन्ना और गन्ने के जूस को पेट्रोलियम पदार्थों की प्राइस देखने के बाद इथनॉल पर डाइवर्ट किया। इसलिए भारत के बाहर आज चीनी का उत्पादन थोड़ा कम है। इसलिए ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इस का बुरा असर इस देश की प्राइसेस पर कुछ-न-कुछ होता है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, आप देश के वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी प्रशासक हैं। मैं आप से एक स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा कर रहा था कि एन॰डी॰ए॰ की सरकार में अगर यह 15-16 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रही थी जिसे आप ने स्वीकार किया है तो जब इतना उत्पादन बढ़ रहा है और इतना आयात-निर्यात सब हो रहा है, फिर भी चीनी के दाम इतने बढ़े हुए क्यों हैं? मैं आप से इस बारे में स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करता था। अगर आप दोबारा उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा पूरक प्रश्न और है। अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसने यह निर्णय किया है कि जो 1998 का आदेश था, मुक्त करने का, उसका कोई एग्जिक्यूटिव आधार नहीं था, अत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में उद्योगों में जो नया पूंजी निवेश हुआ है, चीनी के सम्बन्ध में, वहां बड़ी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बारे में केन्द्र सरकार क्या सोच रही है? ये 'अ' और 'ब' दो पक्ष हैं। इनका उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री शरद पवार: जो डिसीज़न इसके पहले लिया गया था, इसका फायदा तो जरूर हुआ। देश में चीनी मिलों की संख्या बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया था। मगर जैसा मैंने कहा कि टोटल प्राईस ही ड्रॉप होने के साथ किसानों को ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने गन्ने से दूसरी क्रॉप्स पर डाइवर्ट होने का काम किया था। आज परिस्थिति में बदलाव हो रहा है तो वे फिर गन्ने पर आ रहे हैं। आज दाम की जो समस्या है, वह देश के सीमित क्षेत्र में है, पूरे देश में नहीं है। ...(व्यवधान)... मैं बताता हूं। इसमें बिहार ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : नहीं, नहीं ...(व्यवधान)... हिमाचल में ...(व्यवधान)... बिहार में है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। Please don't disturb.

श्री शरद पवार : इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ-ईस्ट, जहां चीनी का उत्पादन कम होता है। नॉर्थ-ईस्ट में तो होता ही नहीं, वेस्ट बंगाल में भी नहीं होता और बिहार में एक जमाने में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, मगर वहां की चीनी मिलें बन्द हैं। इसलिए आज उस बेल्ट में चीनी की कमी है। इसलिए हमने वहां की समस्या हल करने के लिए, बिहार में बन्द पड़ी हुई चीनी मिलों को कैसे शुरू कर सकते हैं और जो लोग वहां नई लागत लगाने के लिए तैयार हैं, उनको encourage करके नई 6-7 मिलें अगले साल-दो साल में कैसे खड़ी कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया गया है। मुझे विश्वास है कि अगर वे मिलें बिहार में आएंगी, तो नॉर्थ-ईस्ट, वेस्ट बंगाल और बिहार की समस्या हल हो जाएगी। वहां के किसानों की यह मांग है। वहां मिल लगाने की आवश्यकता है और लोग वहां मिल लगाने के लिए तैयार होंगे, इस पर हमारा ध्यान है।

Study leave to doctors

*449. PROF. P. J. KURIAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Fifth Central Pay Commission had recommended three years study leave to doctors for attending P. G. courses which cover three years of duration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.